सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
National Human Rights Commission

"मानव अधिकार द्वैवार्षिक पुरस्कार नियमावली"

"Rules of biennial Award on Human Rights"

फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
Faridkot House, Copernicus Marg,
नई दिल्ली–110001
New Delhi-110001
वेबसाइट / *Website : www.nhrc.nic.in*

Rules of biennial Award for creative writing on Human Right in Hindi

Objective

The main objective of the Scheme is to encourage original writing in Hindi on various subjects of Human Rights. This will help in creating awareness of human rights as well as developing Unity at National and Individual level within the country. Under this scheme there shall be a provision for presenting awards for original books/manuscripts in Hindi and translation of books from the standard books.

Various subjects pertaning to Human Rights identified for the purpose are as under :-

- Human Rights and Juvenile Reformatory Institutions
- Concepts of Human Rights in Indian Culture
- Human Rights and Disability.
- Human Rights and Women
- Human Rights in the terrorised areas
- Human Rights and the Youths
- Human Rights and Communal Riots
- Human Rights and Environmental Balance
- Human Rights and Consumer Culture
- Human Rights and Journalism
- Human Rights Media and NGO's
- Human Rights and Child Prostitution
- Human Rights and Child Exploitation
- Human Rights and Senior Citizens
- Human Rights and Education
- Human Rights and Democracy
- Human Rights and Tribal Society
- Right to Information and Human Rights
- Human Rights and Health Services
- Human Rights and Police
- Human Rights and Jails
- Judiciary, Executive and Human Rights
- Human Rights and Child Marriage
- Human Rights and Peoples' Welfare
- Human Rights and Child Labour
- Human Rights and Bonded Labour
- Human Rights and Mental Hospitals
- Human Rights and Food Security
- Human Rights and International Convention
- Social Justice. Administration Human Rights
- Human Rights and Development
- Human Rights and Health Services
- Human Rights and Criminal Justice System
- *Human Rights and Good Governnance*
- Human Rights and Panchayati Raj
- Literature, Society and Human Rights
- Panchayati Raj and Human Right

" मानव अधिकारों पर हिंदी में द्वैवार्षिक सृजनात्मक लेखन पुरस्कार नियमावली "

उद्‌देश्य

इस योजना का उद्‌देश्य मानव अधिकारों से संबंधित विविध विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना होगा। इससे देश के अंतर्गत मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं भावनात्मक स्तर पर एकता स्थापित करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। साथ ही अनूदित योजना में मानव अधिकारों से संबंधित हिंदी में पुस्तकों/पांडुलिपियों को भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

इस प्रयोजन के लिए मानव अधिकारों से संबंधित अभिज्ञात विषयों की सूची नीचे दी गई है :–

- मानव अधिकार तथा बाल सुधारात्मक संस्थाएँ
- भारतीय संस्कृति में मानव अधिकार की अवधारणाएँ
- मानव अधिकार एवं विकलांगता
- मानव अधिकार एवं महिलाएँ
- आतंकग्रस्त क्षेत्रों में मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं युवा वर्ग
- मानव अधिकार एवं सांप्रदायिक दंगे
- मानव अधिकार एवं पर्यावरण संतुलन
- मानव अधिकार एवं उपभोक्ता संस्कृति
- मानव अधिकार, मीडिया तथा गैर–सरकारी संगठन
- मानव अधिकार एवं संचार माध्यम
- मानव अधिकार एवं बाल–वेश्यावृत्ति
- मानव अधिकार एवं बाल शोषण
- मानव अधिकार एवं वृद्‌धजन
- मानव अधिकार एवं शिक्षा
- मानव अधिकार एवं लोकतंत्र
- मनव अधिकार और आदिवासी समाज
- सूचना का अधिकार तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार और स्वास्थ्य सेवाएं
- मानव अधिकार एवं पुलिस
- मानव अधिकार एवं कारागार
- न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं बाल विवाह
- मानव अधिकार एवं जनकल्याण
- मानव अधिकार एवं बाल श्रम
- मानव अधिकार एवं बँधुआ श्रमिक
- मानव अधिकार एवं मनोरोग चिकित्सालय
- मानव अधिकार एवं खाद्य सुरक्षा
- मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय अभिसमय
- सामाजिक न्याय, प्रशासन तथा मानव अधिकार
- मानव अधिकार एवं विकास
- मानव अधिकार एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- मानव अधिकार एवं दांडिक न्याय प्रणाली
- मानव अधिकार एवं सुशासन
- मानव अधिकार और पंचायती राज
- साहित्य, समाज तथा मानव अधिकार
- पंचायती राज तथा मानव अधिकार

The above topics relating to Human Rights can be depicted in any form of literature like Essay, Poetry, Story, Drama or Novel. Apart from the above mentioned subejcts books/manuscripts written on other such topics relating to Human Rights can also be considered.

★ **Details of Awards**

Awards would be presented as per the detail given below on the recommendation based on the quality of books by an Evaluation Committee and a High Level Selection Committee constituted by the Commission for this purpose.

(A) Original Category

First Prize – 50,000/-
Second Prize – 40,000/-
Third Prize –30,000/-

(C) Translation Category

First Prize – 30,000/-
Second Prize – 25,000/-
Third Prize –20.000/-

★ **Eligibility**

- Any writer who is a citizen of India can send his entry under the scheme.
- Only those books, which have been published during the preceding three years, shall be considered in the Scheme.
- The Officers/Staff of the National Human Rights Commission and their dependents shall also be eligible to participate in this Scheme, but the books/manuscripts/Translation written in Hindi by the employees of the NHRC shall be judged with keeping in view the special facilities available to them.
- Entries received under the scheme shall consist of at least 30,000 words. In case there are outstanding contributions, which fall a little short of 30.000 words, the High Level Selection Committee shall have the authority to select such contributions also.
- Any original writing book/manuscript/Translated book, which has been awarded or has received any financial assistance under any other scheme of Government of India or of any State Government or of Autonomous Body, shall not be considered under this scheme.
- Members of the Evaluation Committee and the High Level Selection Committee shall not be eligible to participate in the Scheme during their tenure of membership.

मानव अधिकारों से संबंधित उपर्युक्त विषयों को साहित्य की विविध विधाओं, यथा—निबंध, कविता, कहानी, नाटक अथवा उपन्यास के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त मानव अधिकारों से संबंधित अन्य विषयों में लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों पर भी विचार किया जा सकता है।

★ पुरस्कारों का विवरण

आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति तथा उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा/गुणवत्ता के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे :—

(क) मौलिक श्रेणी

प्रथम पुरस्कार 50,000/-- रूपये
द्वितीय पुरस्कार 40,000/-- रूपये
तृतीय पुरस्कार -- 30,000/-- रूपये

(ख) अनूदित श्रेणी

प्रथम पुरस्कार -- 30,000/-- रूपये
द्वितीय पुरस्कार -- 25,000/-- रूपये
तृतीय पुरस्कार -- 20,000/- रूपये

★ पात्रता

- योजना के अंतर्गत केवल भारत के नागरिक ही अपनी प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं।

- योजना में केवल ऐसी पुस्तकों पर विचार किया जाएगा, जो पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित हुई हों

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रित भी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन उनके द्वारा हिंदी में लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों/अनुवाद को उन्हें उपलब्ध विशेष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आंका जाएगा।

- योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी पुस्तकें/पांडुलिपियां (मूल अथवा अनूदित) में कम से कम 30,000 शब्द होने चाहिए। प्राप्त किसी उत्कृष्ट कृति में निहित शब्दों की संख्या 30,000 से किंचित न्यून होने पर उच्चस्तरीय चयन समिति उसका चयन करने के लिए प्राधिकृत होगी।

- ऐसी कोई पुस्तकें/पांडुलिपियां/अनूदित कृतियां जिसको भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार अथवा वित्तीय सहायता मिली हो, वह इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

- मूल्यांकन समिति तथा उच्चस्तरीय चयन समिति के सदस्यों द्वारा लिखी पुस्तक, उनकी सदस्यता अवधि के दौरान विचारणीय नहीं होगी।

- योजना के अंतर्गत किसी लेखक/अनुवादक को केवल एक बार पुरस्कृत किया जाएगा।

- An author/translator shall be awarded only once under the scheme.
- Five copies of books/manuscripts/Translation are to be sent for the scheme.
- A detailed advertisement regarding the scheme shall be published in the leading Hindi and English Newspapers and some leading Regional Newspapers through DAVP.
- Entries received after the expiry of last date shall not be considered.
- Books submitted as entries to the Commission shall not be returned however manuscripts would be returned.
- If more than one author of the manuscript/Translation is selected for an award the amount of award shall be distributed equally among them.
- The Author(s) shall enjoy the copyright on his/their books/manuscripts submitted in Hindi to the Commission for the awards.
- In case of translation of a book in other Indian Languages or English into Hindi, a certificate of permission from the original author of the book must be produced along with the application.
- No Research thesis/dissertation will be considered under this scheme.
- A book shall be disqualified for the award if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author.
- The Commission reserves the right to decide whether or not to give an award for a book/manuscript depending on the recommendation of the Evaluation Committee and the Selection Committee.
- Commission reserves the right to relax any of the provision of the rules mentioned here.

Procedure for sending the Entries

Entries shall be sent along with 5 (five) copies of the book/manuscript/Translation to the Assistant Director (Official Language), National Human Rights Commission, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi – 110001 in the prescribed application form (available free of cost) in duplicate by [redacted] 31-12-2012.

★ **Declaration of Results**

The decision of the NHRC in connection with any work shall be final and binding. The result will be communicated to the authors and will also be declared through the Press. No correspondence in this regard shall be entertained.

- योजना के अंतर्गत किसी लेखक/अनुवादक को केवल एक बार पुरस्कृत किया जाएगा।

- योजना के अंतर्गत पुस्तकों/पांडुलिपियों/अनुवाद की पांच प्रतियां भेजनी होंगी।

- योजना का विस्तृत विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 के माध्यम से हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ–साथ प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।

- अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाली प्रविष्टियाँ विचारणीय नहीं होंगी।

- आयोग को प्रविष्टियों के रूप में दी गई पुस्तकों को वापस नहीं लौटाया जाएगा तथापि पांडुलिपियाँ लौटा दी जाएंगी।

- यदि पुरस्कार के लिए प्रस्तुत पांडुलिपि/अनुवाद के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि सभी लेखकों में समान रूप से बांट दी जाएगी।

- पुरस्कार हेतु आयोग को भेजी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों पर सर्वाधिकार (कॉपीराइट) उनके लेखक/लेखकों का होगा।

- अन्य भारतीय भाषाओं अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में पुस्तकों के अनुवाद के मामले में आवेदन पत्र के साथ पुस्तक के मूल लेखक का अनुमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- शोध प्रबंध/लघुशोध प्रबंध इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं होंगे।

- ऐसी पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार के अयोग्य होगी जिसके संबंध में उच्चस्तरीय चयन समिति को विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।

- आयोग को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि मूल्यांकन समिति और उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर किसी पुस्तक /पांडुलिपि को पुरस्कार दे या ना दे।

- आयोग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान में छूट देने का अधिकार होगा।

★ प्रविष्टियाँ भेजने का तरीका

प्रविष्टियाँ निर्धारित आवदेन पत्र (निःशुल्क), दो प्रतियों में भरकर प्रविष्टियों की पाँच प्रतियों के साथ सहायक निदेशक (राजभाषा), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001 को [redacted] भेजनी होंगी।

31 दिसम्बर 2012

★ परिणामों की घोषणा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी कृति के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। निर्णय की सूचना संबंधित लेखक को दे दी जाएगी और इसे प्रेस नोट द्वारा प्रचारित भी किया जाएगा। इस संबंध में अन्य किसी भी प्रकार का पत्र–व्यवहार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
National Human Rights Commission

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001
Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001

आवेदन पत्र
APPLICATION FORM

1 पुस्तक / पांडुलिपि / अनुवाद का शीर्षक————————————————
Title of the book/manuscript/Translation

2 प्रस्तुत कृति को क्या पहले किसी सरकारी संगठन द्वारा पुरस्कार अथवा सहायता मिली है?———
Whether the submitted work has received any award or financial assistance from any government/organisation?

3 लेखक / अनुवादक का नाम ————————————————
Name of the Author/Translator

4 पिता / पति का नाम ————————————————
Name of Father/Husband

5 जन्म तिथि ————————————————
Date of Birth

6 पत्र–व्यवहार का पता————————————————
Postal Address

7 (I) लेखक का संक्षिप्त परिचय (अलग शीट पर संलग्न करें)
Brief introduction of the Author(Attach on separate Sheet)

(II) संलग्न पुस्तक / पांडुलिपि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी कम से कम 300 शब्दों में (अलग शीट पर संलग्न करें)
Brief introduction of the book/manuscript at least in 300 words (attach on separate sheet)

8 लेखक के दो फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार), भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित –
Two Photographs of the Author (Passport Size) duly attested by a gazetted officer of the Govt. of India

9 क्या आपने पुस्तक / पांडुलिपि / अनुवाद की पाँच प्रतिया संलग्न की हैं?————————
Whether you have enclosed the five copies of the books/manuscripts?

10 अनुवाद के संबंध में मूल पुस्तक के लेखक का अनुमति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए
Certificate of permission from the writer of original book to be attached in respect of translation

हस्ताक्षर / Signature : ——————————
नाम व पूरा पता————————————
Name & Full Address
टेलीफोन नं0 / Telephone No. ____________
फैक्स नं0 / Fax No. ____________
ई–मेल / E-mail____________________

स्थान / Place

नोट: कृपया अपना नाम व पूरा पता साफ–साफ लिखें
Note: Please write your name and address in legible writing.

घोषणा पत्र
DECLARATION

मैं ____________________ आयु ____________
I ____________________ Age ____________

पुत्र / पुत्री / पत्नी ____________________
S/o. D/o. W/o ____________________

निवासी ____________________
R/o ____________________
घोषणा करता / करती हूँ:
hereby declare that:

1. यह पुस्तक / पांडुलिपि / अनुवाद ____________________
This book/manuscript/Translation

____

भारत सरकार / राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्वायत्तशासी संगठन में किसी पुरस्कार के लिए अथवा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए विचाराधीन नहीं है।

Is not under consideration for any award or for any financial assistance from Govt. of India/State Govt./Autonomous Body

2. इस पुस्तक / पांडुलिपि / अनुवाद ____________________
पर पहले भारत सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्तशासी संगठन द्वारा कोई पुरस्कार नहीं मिला है।

This book/manuscript/Translation____________ has not received any award from Govt. of India/State Govt./ Autonomous Body earlier.

हस्ताक्षर ____________________
Signature

पूरा पता ____________________
Full Address ____________________

दिनांक ____________
Date:
स्थान ____________